ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177029 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025

भाग—एक

1. **(क) प्रस्तावना:—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव कार्यरत रहे:—

प्रधान :—

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री करतार सिंह चौहान	01.04.2024 से 31.03.2025

पंचायत सचिव :—

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री बनीत कुमार	01.04.2024 से 14.03.2025
2	श्री सतीस कुमार	15.03.2025 से 31.03.2025

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः— ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:—

क्र॰ सं॰	**पैरा संख्या**	**गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	9.93
2	7.1	पंचायत का गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.30
3	7.2	पंचायत का स्वच्छता शुल्क वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.04
4	7.3	दुकानों के किराये की बकाया राशि वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.22
5	7.4	रसीदों से प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन	0.32
6	8.1	आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना अनियमित भुगतान करना	5.73
7	8.2	स्त्रोत पर जी.एस.टी.टी.डी.एस.की कटौती न करना	0.30
8	9.1	मनरेगा शीर्ष में खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के फलस्वरूप सामग्री दुर्विनियोजन	0.23
9	9.2	अनुदान प्लानिंग शीर्ष में खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के फलस्वरूप सामग्री दुर्विनियोजन	0.48

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः—

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला द्वारा ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर का यह **प्रथम** अंकेक्षण है।

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री पुनीत कुमार, आर्टीकल सहायक द्वारा दिनांक 22.05.2025 से 24.05.2025 तक ग्राम पंचायत लम्बलू के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की अधिकतम आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः–

वर्ष	आय	व्यय
2024–25	12/2024	04/2024

अस्वीकरण (Disclaimer):- इस ***अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग हि॰प्र॰ उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹4,800 (14 वें व 15 वें वित्तायोग के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के ऑनलाईन ऑडिट के अंकेक्षण शुल्क सहित) बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हि॰प्र॰ शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं॰ 68/2025 दिनांक 24.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लम्बलू, जिला हमीरपुर के बैंक

ड्राफ्ट संख्या केएए 409359 दिनांक 23.05.2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22. 05.2025 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** पर दिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान (8) (online),रोकड़ बहियों अर्थात स्वः स्त्रोत, अनुदान (प्लानिंग), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान, विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम (एस.डी.पी.), विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन, 15वाँ वित्तायोग व मनरेगा का रख–रखाव किया गया था।

(1)(क) स्वः स्त्रोतः– ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक की स्वः स्त्रोत की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024–2025	554817.00	103668.00	658485.00	159207.00	499278.00

(ख) अनुदानः– ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024–2025	1571266.17	4660680.75	6231946.92	5239254.75	992692.17

(ग) 15वाँ वित्तायोगः— ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के 15वाँ वित्तायोग की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित(₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2024—2025	1364736.64	1535341.00	2900077.64	1346766.00	1553311.64

(घ) संकलित वित्तीय स्थितिः— ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

निधि का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
स्व स्त्रोत	2024—2025	554817.00	103668.00	658485.00	159207.00	**499278.00**
15वाँ वित्तायोग	2024—2025	1364736.64	1535341.00	2900077.64	1346766.00	**1553311.64**
अनुदान	2024—2025	1571266.17	4660680.75	6231946.92	5239254.75	**992692.17**
संकलित वित्तीय स्थिति का कुल अन्तिम शेष (499278+1553311.64+992692.17)						**3045281.81**

(2) दिनांक 31.03.2025 को ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अन्तशेष का विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क्र॰ सं॰	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	अन्त शेष (₹)
1	खाता 'क' (स्वः स्त्रोत)	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लम्बलू	20089006272	499275.00

2	खाता 'ख' (अनुदान प्लानिंग)	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लम्बलू	20072010175	781351.17
3	विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लम्बलू	50063053446	26485.00
4	विकेन्द्रीकृत योजना कार्यक्रम(एस.डी.पी.)	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लम्बलू	50059202598	18276.00
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान	इंडसइंड बैंक हमीरपुर	100167367425	38906.00
6	स्वच्छ भारत मिशन (एस.डी.पी.)	काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित लम्बलू	50066869857	127674.00
7	15 वाँ वित्तायोग	पंजाब नेशनल बैंक लम्बलू	1721000102978983	1553311.64
कुल योग (1)से (7)				**3045278.81**

(3) बैंक समाधान विवरणी दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार :–

1	स्वः स्त्रोतः– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**499278.00**
2	15 वें वित्तायोगः– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**1553311.64**
3	अनुदान :– दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**992692.17**
4	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की रोकड़ बहियों का कुल अन्तिम शेष	**3045281.81**
5	हस्तगत राशि स्वः स्त्रोत **(घटाव)**	3.00
6	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत की रोकड़ बहियों का कुल अन्तिम शेष	**3045278.81**
5	दिनांक 31.03.2025 को पंचायत के बैंक खातों/पैरा 4(2) के अनुसार विभिन्न बचत खातों का कुल अन्तिम शेष	**3045278.81**
अन्तर		**0.00**

5. सावधिक निवेशः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास पंचायत निधि (स्वः स्त्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत का अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था।

अतः पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वः स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख—रखाव करके स्वः स्त्रोत मे आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख—रखाव भी किया जाना सुनिश्चित करें तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना भी सुनिश्चित करें।

6. अनुदानः—

6.1 अनुदान राशि ₹9.93 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट—1** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹9,92,692.17**/— की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न पाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायतों को दिये गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए है एवं उस अधिकारी

को जिसने अनुदान मंजूर किए गए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त विभिन्न अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए, फलस्वरूप अंकेक्षणावधि में कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अवगत करवाया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही/अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध न करवानाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 79(2) के अनुसार सचिव, ग्राम पंचायत अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु जिम्मेवार है तथा सचिव पंचायती राज विभाग, हि.प्र. शिमला —9 के पत्र संख्या पीसीएच—एच ए (5) सी 15313/89—4614—4787 दिनांक 25.04.2007 के अन्तर्गत जारी दिशा—निर्देशानुसार ग्राम पंचायतों को सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी व अन्य स्वीकृति एजेन्सी द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रदान की गई राशियों के स्वीकृति पत्र उपलब्ध करवाएगी ताकि अंकेक्षण के समय सुनिश्चित कर सके कि धन राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की जा रही है। किन्तु अंकेक्षण के दौरान अनुदान आदेश/स्वीकृति पत्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत नहीं किये गए।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश/स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नहीं हुए है तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है। यह एक

अनुचित प्रकिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अनुदान के आदेश/स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे/एवं प्राप्त अनुदान राशि सम्बन्धित स्कीम पर ही खर्च की गई थी अथवा नहीं?

अतः उक्त आदेश, स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण उक्त दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है।

7. पंचायत राजस्वः—

7.1 पंचायत का ₹0.30 लाख गृहकर/सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेषः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट–2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹**29,500 वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.2 पंचायत का स्वच्छता/सफाई शुल्क ₹1.04 लाख वसूली हेतु शेषः—

मिशन निदेशक (एस बी एम जी) एवं निदेशक स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण मंत्रालय, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एस. एम. जी. 19/2000–2/1 –आर डी. डी. –एस–जी दिनांक 24.01.2025 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता परिसम्पत्तियों

के संचालन और रख–रखाव हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छता शुल्क के निर्धारण हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करने के उपरान्त स्वच्छता शुल्क प्राप्त करेगी। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 के प्रतिउत्तर में **परिशिष्ट–2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 के दौरान स्वच्छता शुल्क की देय राशि **₹**1,03,700/– वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः स्वच्छता शुल्क की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 दुकानों के किराये ₹0.22 लाख राशि वसूली हेतु शेषः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 34(2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 के प्रतिउत्तर सचिव ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–3** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2025 तक दुकानों के किराये की बकाया राशि **₹21,600** वसूली हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अतः दुकानों के किराये बकाया राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.4 रसीदों से प्राप्त ₹0.32 लाख राशि का दुर्विनियोजनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6(3) के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्राप्त राशियों को रोकड़ बही में दर्ज करने के उपरान्त बैंक मे जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत के अवधि 04/2024 से 03/2025 के दौरान आय की रसीदों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–4** में दिये गये विवरणानुसार **₹31,560/–** की राशि का रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं किया गया था और न ही इस राशि को बैंक में जमा करवाया गया था, परिणामस्वरूप राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/2025 दिनांक 23.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि रसीदों के रूप में प्राप्त **₹31,560/–** को रोकड़ बही में दर्ज करके तथा राशि को बैंक में जमा करवाकर अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः उक्त राशि का शीघ्र रोकड़ बही में लेखांकन करके इसे बैंक में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने हेतु नियमानुसार कारगर कदम उठाये जाये।

8. व्ययः–

8.1 आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई खनन निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना राशि ₹5.73 लाख का अनियमित भुगतान करनाः–

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियमावली 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम के द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत दण्ड़ शुल्क के साथ करना होगा, परन्तु निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिमला के पत्र संख्या XEN-(RD&PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के निर्देशानुसार व माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के आदेशानुसार अब संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं (कॉन्ट्रैक्टर्स/वेंडर्स) से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा केवल वैध ट्रांजिट फॉर्म "X" या "W" जमा करवाने उपरान्त ही किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति के समर्थन में उक्त ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त नहीं किये थे। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को संलग्न **परिशिष्ट–5** अनुसार **₹**5,72,928/– का अनियमित भुगतान किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/2025 दिनांक 23.05.2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव, द्वारा पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 के माध्यम से सूचित किया गया कि "नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त वर्णित **₹5,72,928/–** राशि से सम्बन्धित फॉर्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फॉर्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हे भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा प्रस्तुत उत्तर मान्य नहीं हैं, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म की अनुपस्थिति में अंकेक्षणावधि के दौरान आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों एवं समय–2 पर जारी दिशा–निर्देशों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है।

अतः **₹5,72,928/–** राशि के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अथवा इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकारों/आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. की कटौती न करने के कारण ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान करना:–

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम 2017 की धारा 51 तथा हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78EXN-Tax-Part(278/25)-29056 दिनांक 29.09.2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/LocalAuthority/Govt.Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति फर्म, को सेवायें तथा वस्तुऐं प्रदान करने के बदले एकल अनुबन्ध के अन्तर्गत **₹**2,50,000/– से अधिक राशि का भुगतान करने पर 2% (1% सी.जी.एस.टी.तथा 1% एस.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति एवंम 2% आई.जी.एस.टी. अन्तर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी.

टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म/ संविदाकारों को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति सलंग्न **परिशिष्ट–6** अनुसार राशि ₹14,75,593/– (जी.एस.टी.के अलावा) का भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि ₹29,511,86/– की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/2025 दिनांक 23.05.2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं द्वारा ₹14,75,593/– की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार ₹29,511.86/– जी.एस.टी.,टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी. (टी.डी.एस.) की कटौती न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए,तथा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग के जिलाधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9. निर्माण कार्यों पर व्यय से सम्बन्धित अनियमितताएँः–

9.1 खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के कारण राशि ₹0.23 लाख की सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग करनाः–

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत का प्रधान और सम्बद्ध पंचायत का सचिव पंचायत निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करना अपेक्षित है"।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण में पाया गया कि रेत व पेवर ब्लॉक आदि निर्माण सामग्री की मूल्यांकन से अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के फलस्वरूप संलग्न **परिशिष्ट -7** अनुसार राशि ₹22577/- का अधिक भुगतान/दुर्विनियोजन किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/2025 दिनांक 23.05.2025 द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता का प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र 136/25 दिनांक 24.05.2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से अधिक मात्रा की खपत दर्शाने के फलस्वरूप **₹22,577/—** के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के उचित एवं पारदर्शी लेखांकन के अभाव में उसके दुर्विनियोजन के फलस्वरूप किये गये अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाये।

9.2 खपत से अधिक निर्माण सामग्री जारी करने के कारण राशि ₹0.48 लाख की सामग्री का दुर्विनियोजन/दुरूपयोग करनाः—

"हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 44 के प्रावधानानुसार ग्राम पंचायत का प्रधान और सम्बद्ध पंचायत का सचिव पंचायत निधि से व्यय उपगत या प्राधिकृत करते समय वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों को प्रत्येक स्तर पर कड़ी मितव्ययिता के साथ अनुपालन करना अपेक्षित है"।

अंकेक्षण अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 के दौरान अनुदान प्लानिंग शीर्ष के अर्न्तगत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से सम्बन्धित माप पुस्तिका के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त निर्माण सामग्री रेत व टीएमटी सरिया आदि

निर्माण सामग्री की मूल्यांकन से अधिक खपत दर्शाने/जारी करने के फलस्वरूप संलग्न **परिशिष्ट -8** अनुसार राशि ₹48255/- का अधिक भुगतान/दुर्विनियोजन किया गया था।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/2025 दिनांक 23.05.2025 द्वारा उक्त वित्तीय अनियमितता का प्रकरण सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र 136/25 दिनांक 24.05.2025 के तहत अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित प्लानिंग शीर्ष के अन्तर्गत करवाये गए निर्माण कार्य के मूल्याकंन से अधिक मात्रा की खपत दर्शाने के फलस्वरूप **₹48,255/–** के अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी।

अतः अंकेक्षण को दिए आश्वासन के दृष्टिगत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री के उचित एवं पारदर्शी लेखांकन के अभाव में उसके दुर्विनियोजन के फलस्वरूप किये गये अधिक/अनियमित भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु निर्माण कार्यों की नमूना जाँच एवं सत्यापन नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाये।

10 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि॰ प्र॰ पंचायती राज (सामान्य) नियमावली 1997 के नियम 34 के प्रावधित महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना आपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है:–

क्र॰ सं॰	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित, बजट, संपरीक्षा, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002			
1	निवेश रजिस्टर	1	(1)12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	माँग और प्राप्ति रजिस्टर	10	33
4	बजट प्राक्कलन रजिस्टर	11	37
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)

6	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
7	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित अभिलेख रजिस्टर	30	89
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	—	103
10	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	—	101(2)(V)
हि• प्र• पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997			
1	विकास कार्य निष्पादन रजिस्टर	7	34
2	अनुदान रजिस्टर	8	34
3	अचल सम्पत्ति रजिस्टर	11	34

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा पत्र संख्या 136/25 दिनांक 24.05.2025 के माध्यम से अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में सभी रजिस्टरों का तैयार कर लिया जाएगा और अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा जाए।

11. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक भी वार नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की तिथि विशेष को भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगया जा सकता। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/2025 दिनांक 22.05.2025 की अनुपालना में पत्र संख्या 136/25 दिनांक 22.05.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्टोर/स्टॉक का

भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है जिसे भविष्य में नियमानुसार सत्यापित करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण मान्य नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये गये स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई अमल मे लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपत्ति विवरणिका**:— लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

13. **निष्कर्ष**:— लेखों में पर्याप्त सुधार और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता हैं।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का०/प्रति

22 JUL 2025

4749—4753

पृष्ठांकन संख्याः— फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)128/2025 खण्ड—1 दिनांक शिमला—09

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

22 JUL 2025

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला—171009
फोन नं0 0177—2620046

का०/प्रति

परिशिष्ट 1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित
ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177029
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

स्व: स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	554817.00	103668.00	658485.00	159207.00	499278.00

15 वें वित्तायोग :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1364736.64	1535341.00	2900077.64	1346766.00	1553311.64

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	1571266.17	4660680.75	6231946.92	5239254.75	992692.17

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
1	2024-25	3490819.81	6299689.75	9790509.56	6745227.75	3045281.81

Diff.	3.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट 1.1 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177029						
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रमांक संख्या	विवरण	आरंभिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	शेष राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	554817.00	103668.00	658485.00	159207.00	**499278.00**
2	अनुदान (प्लानिंग)	1392757.17	896278.00	2289035.17	1507684.00	**781351.17**
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	25474.00	320507.00	345981.00	319496.00	**26485.00**
4	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	4578.00	398431.00	403009.00	384733.00	**18276.00**
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	35362.00	54544.00	89906.00	51000.00	**38906.00**
6	स्वच्छ भारत अभियान SBM	113095.00	34579.00	147674.00	20000.00	**127674.00**
8	15 वें वितायोग	1364736.64	1535341.00	2900077.64	1346766.00	**1553311.64**
9	मनरेगा	0.00	2956341.75	2956341.75	2956341.75	**0.00**
कुल योग		**3490819.81**	**6299689.75**	**9790509.56**	**6745227.75**	**3045281.81**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट 1.2 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177029

दिनांक 31.03.25 को बैंक का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक लम्बलू	20089006272	499275.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक लम्बलू	20072010175	781351.17
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक लम्बलू	50063053446	26485.00
4	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक लम्बलू	50059202598	18276.00
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	इंडस बैंक हमीरपुर	100167367425	38906.00
6	स्वच्छ भारत अभियान SBM	के सी सी बैंक लम्बलू	50066869857	127674.00
8	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक लम्बलू	1721000102978983	1553311.64
कुल योग				3045278.81

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

21

परिशिष्ट 1.3 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177029

दिनांक 31.03.25 को बैंकों व रोकड़ बहियों के अंतशेष के अंतर का विवरण निम्नानुसार है:-

1	2	3	4	5	7	8	9	10
क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	बैंक खातों का अंत शेष राशि (₹)	रोकड़ बहियों का अंत शेष (₹)	हस्तगत राशि (₹)	रोकड़ बहियों का शुद्ध अंत शेष (₹)	अंतर (₹)
1	स्व: स्त्रोत	के सी सी बैंक लम्बलू	20089006272	499275.00	499278.00	**3.00**	**499275.00**	0.00
2	अनुदान (प्लानिंग)	के सी सी बैंक लम्बलू	20072010175	781351.17	781351.17	0.00	**781351.17**	0.00
3	विधायक क्षेत्र विकास योजना VKVNY	के सी सी बैंक लम्बलू	50063053446	26485.00	26485.00	0.00	**26485.00**	0.00
4	विकेंद्रीकृत योजना कार्यक्रम SDP	के सी सी बैंक लम्बलू	50059202598	18276.00	18276.00	0.00	**18276.00**	0.00
5	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान RGSA	इंडस बैंक हमीरपुर	100167367425.00	38906.00	38906.00	0.00	**38906.00**	0.00
6	स्वच्छ भारत अभियान SBM	के सी सी बैंक लम्बलू	50066869857	127674.00	127674.00	0.00	**127674.00**	0.00
8	15 वें वितायोग	पंजाब नेशनल बैंक लम्बलू	1721000102978983	1553311.64	1553311.64	0.00	**1553311.64**	0.00
कुल योग				**3045278.81**	**3045281.81**	**3.00**	**3045278.81**	**0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

22

20

परिशिष्ट 1.4 पैरा संख्या 4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू, विकास खण्ड बमसन, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश, 177029		
दिनांक 31.03.2025 को वितीय स्थिति का अंत शेष		
1	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का अंतिम शेष	3045281.81
2	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3045278.81
	अन्तर	**3.00**
दिनांक 31.03.2025 को बैंक समाधान विवरणी		
1	स्व: स्त्रोत की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	499278.00
2	अनुदान की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	992692.17
3	15वें वितायोग की रोकड़ बही का दिनांक 31.03.2025 को अंतिम शेष	1553311.64
4	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **कुल** अंतिम शेष	**3045281.81**
5	दिनांक 31.03.2025 को स्व: स्त्रोत निधि में **हस्तगत राशि (घटाव)**	3.00
6	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बहियों का **शुद्ध** अंतिम शेष	3045278.81
7	दिनांक 31.03.25 को बैंक खातों का अंतिम शेष	3045278.81
	अंतर	**0.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

23

परिशिष्ट "2" पैरा संख्या 7.1 में सदर्भित (72)

(01.04.2024 से 31.03.2025)							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **गृह कर** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	2100	620	50	31000	33100	3600	**29500**

ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक **सफाई शुल्क** की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	प्रारम्भिक शेष	परिवार	सफाई शुल्क वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2024-2025	10500	620	200	124000	134500	30800	**103700**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

परिशिष्ट ड पैरा संख्या 7.ड में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

दूकानों के किराया वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

Sh. Vinay kumar

Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	0	12 x 1250	15000	15000	15000	0

Parveen Kumari

Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	0	12 x 1250	15000	15000	15000	0

Sh. Banka Ram

Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	0	12 x 1000	12000	12000	12000	0

Mr. Rajinder Kumar

Sr. No.	Year	Opening Balance (₹)	monthly aggriment	Demand during the year (₹)	Total (₹)	Collection during the year (₹)	CLOSING BALANCE (₹)
1	2024-25	7200	12 x 1200	14400	21600	0	21600

Total	**21600.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

परिशिष्ट 4 पैरा संख्या 7.4 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही व बैंक में जमा न करना :-

क्रमांक	रसीद संख्या	मद	प्राप्त राशि	रोकड़ बही में दर्ज कुल राशि	अंतर
1	3406-3419	मृत्यु प्रमाण पत्र	410	0	31560
2	3901	गृहकर व सफाई शुल्क	250		
3	3601-3658	गृहकर व सफाई शुल्क	14500		
4	20001-20100	गृहकर व सफाई शुल्क	5000		
	20201-20106	गृहकर व सफाई शुल्क	1200		
5	20301-20351	गृहकर व सफाई शुल्क	10200		
कुल योग			**31560**	**0**	

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

Annexure

परिशिष्ट 5 पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

आपूर्तिकर्ताओं से क्रय की गई निर्माण सामग्री के ट्रांजिट फॉर्म प्राप्त किये बिना भुगतान करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	निधि	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	विक्रेता का नाम व पता	सामग्री	मात्रा cum	कुल भुगतान राशि
1	GIA Planning	नि० रास्ता नजदीक शमशानघाट गाँव झटवाड	8	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	12	36288
2	GIA Planning	नि० रास्ता नजदीक शमशानघाट गाँव झटवाड	8	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	12	
3	GIA Planning	नि० रास्ता नजदीक शमशानघाट गाँव झटवाड	9	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	12	26901
4	GIA Planning	नि० रास्ता नजदीक शमशानघाट गाँव झटवाड	9	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
5	GIA Planning	अपवर्धन पंचायत घर लम्बलू	17	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	24	49200
6	GIA Planning	अपवर्धन पंचायत घर लम्बलू	22	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	24	35028
7	GIA Planning	अपवर्धन पंचायत घर लम्बलू	30	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	3	4378
8	GIA Planning	नि० रास्ता नजदीक शमशानघाट गाँव झटवाड	40	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	3	9072
9	GIA Planning	नि० रास्ता नजदीक शमशानघाट गाँव झटवाड	40	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	3	
10	SDP	नि०वर्षा शालिका नजदीक शमशानघाट ठनकरी	11	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	6	18522
11	SDP	नि०वर्षा शालिका नजदीक शमशानघाट ठनकरी	11	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
12	SDP	नि०वर्षा शालिका नजदीक शमशानघाट ठनकरी	12	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	12	27468
13	SDP	नि०वर्षा शालिका नजदीक शमशानघाट ठनकरी	12	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
14	SDP	नि०वर्षा शालिका नजदीक शमशानघाट ठनकरी	14	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	9	18207
15	SDP	नि०वर्षा शालिका नजदीक शमशानघाट ठनकरी	14	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	3	
16	VKVNY	अपवर्धन जंज घर गाँव झटवाड वार्ड न० 1	4	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	12600
17	VKVNY	नि० ऊपरी मंजिल महिला मंडल लम्बलू वार्ड न० 6	7	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	9576
18	VKVNY	अपवर्धन जंज घर गाँव झटवाड वार्ड न० 1	10	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Agg.	3	9261
19	VKVNY	अपवर्धन जंज घर गाँव झटवाड वार्ड न० 1	10	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	3	
20	Mnrega	C/o Path from main road towards Lekh Raj house Ghurar	1469	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	2	9177
21	Mnrega	C/o Path from main road towards Lekh Raj house Ghurar	1469	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	4	
22	Mnrega	C/o path from Puran Chand towards Dugli Khadd	1418	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	18144
23	Mnrega	C/o path from Puran Chand towards Dugli Khadd	1418	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
24	Mnrega	C/o P. Wall to protect house of Surender Kumar Thankari	1266	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	13450
25	Mnrega	C/o P. Wall to protect house of Surender Kumar Thankari	1266	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	3	
26	Mnrega	C/o P. Wall to protect house of Pawan Kumar Lambloo	1300	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
27	Mnrega	C/o P. Wall to protect house of Pawan Kumar Lambloo	1300	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	4	
28	Mnrega	C/o L/R from Subhash Chand house towards Ved Parkash house Jhatwar	1464	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	18144
29	Mnrega	C/o L/R from Subhash Chand house towards Ved Parkash house Jhatwar	1464	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
30	Mnrega	C/o P/W Prithi Raj S/o Bakshi Ram Jhatwar	1287	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
31	Mnrega	C/o P/W Prithi Raj S/o Bakshi Ram Jhatwar	1287	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	4	
32	Mnrega	C/o Path from Main road towards Pipal Tree Ghurar	1484	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	18522
33	Mnrega	C/o Path from Main road towards Pipal Tree Ghurar	1484	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
34	Mnrega	C/o P/Wkashmir Singh s/o Dina Nath Jhatwar	1288	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
35	Mnrega	C/o P/Wkashmir Singh s/o Dina Nath Jhatwar	1288	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	4	
36	Mnrega	C/o Path from Jatt Ram house towards Nirmla Devi house Lambloo	1302	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	12	26901
37	Mnrega	C/o Path from Jatt Ram house towards Nirmla Devi house Lambloo	1302	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Sand	6	
38	Mnrega	C/O R /Wall ramesh Chand Vill Jhatwar	1298	Kamal pathania vill patta, po channel, hamirpur	Aggrigate	6	15015

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

39	Mnrega	C/O R /Wall ramesh Chand Vill Jhatwar	1298	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	4	
40	Mnrega	C/O R /Wall Bhagwan Das Vill Lambloo	1299	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
41	Mnrega	C/O R /Wall Bhagwan Das Vill Lambloo	1299	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	4	
42	Mnrega	C/O R /Wall Dalip Chand Vill Thankari	1475	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	6	15330
43	Mnrega	C/O R /Wall Dalip Chand Vill Thankari	1475	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	4	
44	Mnrega	C/O R /Wall Dalip Chand Vill Thankari	1467	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
45	Mnrega	C/O R /Wall Dalip Chand Vill Thankari	1467	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	4	
46	Mnrega	C/O R /Wall Savitri Devi Vill Thankari	1290	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
47	Mnrega	C/O R /Wall Savitri Devi Vill Thankari	1290	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	4	
48	Mnrega	C/O R /Wall Gaytri Devi Vill Thankari	1295	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	6	15015
49	Mnrega	C/O R /Wall gaitri Devi Vill Thankari	1295	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	4	
50	Mnrega	C/O P /Wall Near GPS Vill Jhatwar	1304	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	3	9072
51	Mnrega	C/O P /Wall Near GPS Vill Jhatwar	1304	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	3	
52	Mnrega	C/O Path Fro Jogi Ram House Towards Main Road Vill Thankari	1296	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	12	26901
53	Mnrega	C/O Path Fro Jogi Ram House Towards Main Road Vill Thankari	1296	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	6	
54	Mnrega	C/O Path Fro Jogi Ram House Towards Main Road Vill Thankari	1296	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	3	4693
55	Mnrega	C/O Path From Janjghar TowardsAshok Kumar House Vill Kahneu	1273	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	3	9072
56	Mnrega	C/O Path From Janjghar TowardsAshok Kumar House Vill Kahneu	1273	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	3	
57	Mnrega	C/O Path From Janjghar TowardsAshok Kumar House Vill Kahneu	1230	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Aggrigate	12	26901
58	Mnrega	C/O Path From Janjghar TowardsAshok Kumar House Vill Kahneu	1230	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand	6	
Total							**572928.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

परिशिष्ट 6 पैरा संख्या 8.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर

(जी.एस.टी.टी.डी.एस.) की वसूली न करने वारे (01.04.2024 से 31.03.2025)

क्रम संख्या	वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	कुल राशि (₹)	जी.एस.टी.(टी.डी.एस.) की कटौती राशि (₹)
1	01-04-2024 to 31-03-2025	Kamal pathania vill patta, po chamnel, hamirpur	Sand,Aggregate, cut stone and shuttering	586584	11731.68
		Vastu Enterprises, VPO Lambloo, Hamirpur	Steel	253495	5069.90
		Ritiwik Trading Co, vill Sarli, PO chamned, Hamirpur	Door& Window	301324	6026.48
2		Guruji Tile Works, vill Patta, PO chamnel, Hamirpur	Tiles	334190	6683.80
कुल योग				1475593	29511.86

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

27

परिशिष्ट 7 पैरा संख्या 9.1 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- रास्ता निर्माण मेन रोड से लेख राज के घर तक, गाँव घरार। निधि का नाम -मनरेगा				
स्वीकृत राशि -300000/-				
कुल खर्च राशि - 227142/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत घन मीटर
MB-10950	1:3:6	21.51	0.47	10.10
कुल योग				**10.10**
बिल संख्या-1469,1303,1231 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				14
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				3.9
क्रय दर				1490
अधिक भुगतान				5811
अधिक भुगतान राशि				**5811**
कुल योग				**5811/-**

2. निर्माण कार्य का नाम :-रास्ता निर्माण पूर्ण चंद के घर से डुगली खड तक।
निधि का नाम - मनरेगा
स्वीकृत राशि -300000/-
कुल खर्च राशि -203331/-

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत घन मीटर
MB-23341 52,86-89	1:3:6	21.51	0.47	10.10
कुल योग				**10.10**
बिल संख्या- 1418,1226 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				12
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				1.9
क्रय दर				1490
अधिक भुगतान				2831
अधिक भुगतान राशि				**2831**
कुल योग				**2831/-**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

3. निर्माण कार्य का नाम :-रास्ता निर्माण जोगी राम के घर से मेन रोड तक, गाँव ठनकरी।				
स्वीकृत राशि - 300000/-				
कुल खर्च राशि -148520/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**खपत मात्रा**	**रूपांतरण कारक**	**पेवर ब्लॉक**
MB-23341 82,84	पेवर ब्लॉक 40 एमएम	30.6	35	1071
कुल योग				**1071**
बिल संख्या 1615,1616,1618 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				2000
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				929
क्रय दर				15
अधिक भुगतान				13935
कुल अधिक भुगतान राशि				**13935**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत तम्बर
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि० प्र०)

(30)

परिशिष्ट 8 पैरा संख्या 9.2 में संदर्भित				
ग्राम पंचायत लम्बलू विकास खंड बमसन, जिला हमीरपुर				
1. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण कॉमन सर्विस सेंटर, लम्बलू। निधि का नाम - जीआई प्लानिंग				
स्वीकृत राशि -1000000 + 500000 = 1500000/-				
कुल खर्च राशि - 1500000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	रूपांतरण कारक	रेत घन मीटर
MB-3495 1-7	1:1.5:3 1:5:10 ब्रिक वर्क 1:6 filling in plinth with uder store	62.03 18.89 13 8.64	0.425 0.47 .26 -	26.36 8.87 3.38 8.64 =47.25 + 5% =49.61
कुल योग				**49.61**
बिल संख्या-1268,1269,1234,347,419, के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				66
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				16.39
क्रय दर				1490
अधिक भुगतान				24421.1
अधिक भुगतान राशि				**24421.1**
कुल योग				**24421/-**

2. निर्माण कार्य का नाम :- निर्माण कॉमन सर्विस सेंटर, लम्बलू। निधि का नाम - जीआई प्लानिंग				
स्वीकृत राशि -1000000 + 500000 = 1500000/-				
कुल खर्च राशि - 1500000/-				
मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	मद का नाम	मात्रा (घन मीटर)	टीएमटी (KG)	टीएमटी (KG)
MB-3495 1-7	**टीएमटी** 16mm 12mm 10mm 8mm	**टीएमटी (KG)** 2711.52 958.20 1339.32 2059.58	7069 3%=212 =7281	7281.00
कुल योग				**7281.00**
बिल संख्या -393,394,396,417,542,543,546,551,557,573 के अनुसार कार्य हेतु जारी / खपत मात्रा				7706.6
अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री				425.60
क्रय दर				56
अधिक भुगतान				23833.6
अधिक भुगतान राशि				**23833.6**
कुल योग				**23834/-**

कूल योग (1+2) **48255/-**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत लम्बलू
विकास खण्ड बमसन (टौणी देवी)
जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

32